

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृषिबजट आवंटन-20/2013-

202 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-12-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

Mail/Fax

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/मुंगेर/रोहतास/जमुई/भोजपुर/बेगूसराय/नालन्दा/खगड़िया/पटना/लखीसराय/कैमूर (भभूआ)/गया/नवादा/शेखपुरा/औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली. (हाजीपुर)/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/सीतामढ़ी/शिवहर/भागलपुर/बांका/मधुबनी/समस्तीपुर/दरभंगा/सहरसा/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/कटिहार/सुपौल/कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/रोहतास/गया/नवादा/औरंगाबाद/भागलपुर/मुंगेर/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली (हाजीपुर)/सीतामढ़ी/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/सहरसा/पूर्णियाँ/कटिहार।

विषय :

जैविक खेती परियोजना के लिए वर्ष 2013-14 में 10504.78 लाख रुपये (एक अरब पाँच करोड़ चार लाख अठत्तर हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 106.3997 लाख रुपये (एक करोड़ छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,06,39,960 (एक करोड़ छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-6056 दिनांक-05.12.2013 द्वारा जैविक खेती परियोजना के लिए वर्ष 2013-14 में 10504.78 लाख रुपये (एक अरब पाँच करोड़ चार लाख अठत्तर हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 106.3997 लाख रुपये (एक करोड़ छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,06,39,960 (एक करोड़ छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,06,39,960 (एक करोड़ छः लाख उनचालीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातिये क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0132-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड-P2401007960132, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5035, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 309.56 लाख रुपये से विकलनीय होगा।


3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० (2) दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

202 (आगतन)


/कृ०, पटना, दिनांक 12-12-2013

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु


सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक


202 (आगतन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-12-2013

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, (पी० पी० एम०),/निदेशक, उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण, /निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

जैविक खेती परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष, 2013-14 में (अनुसूचित जनजाति के लिए) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6056 दिनांक-05.12.2013 के अनुसार राशि का आवंटन।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रुपये में)	आवंटित राशि (राशि रुपये में)
		P2401007960132	P2401007960132
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	81,10,300	81,10,300
2	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	41,700	41,700
3	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	29,500	29,500
4	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	69,900	69,900
5	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	43,900	43,900
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	64,900	64,900
7	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	65,700	65,700
8	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	70,700	70,700
9	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	37,300	37,300
10	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	92,500	92,500
11	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	23,700	23,700
12	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (मभूआ)।	42,800	42,800
13	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	92,900	92,900
14	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	53,500	53,500
15	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	16,400	16,400
16	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	57,900	57,900
17	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	27,200	27,200
18	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	19,400	19,400
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	91,400	91,400
20	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	83,000	83,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	66,600	66,600
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	1,08,700	1,08,700
23	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।	82,200	82,200
24	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	1,14,200	1,14,200
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।	89,100	89,100
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	77,400	77,400
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	16,000	16,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	68,800	68,800
29	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	52,800	52,800
30	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	1,12,600	1,12,600
31	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	1,07,600	1,07,600
32	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	91,800	91,800
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	43,400	43,400
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	49,400	49,400
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	70,400	70,400
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	62,200	62,200
37	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	36,500	36,500
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	67,800	67,800
39	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	51,800	51,800
40	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना।	6,630	6,630
41	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा।	5,190	5,190
42	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, भोजपुर।	4,800	4,800
43	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, रोहतास।	5,130	5,130
44	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गया।	6,720	6,720
45	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नवादा।	4,040	4,040
46	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, औरंगाबाद।	4,340	4,340
47	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, भागलपुर।	5,060	5,060
48	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मुंगेर।	2,450	2,450



बिहार सरकार,
कृषि विभाग

जैविक खेती परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष, 2013-14 में (अनुसूचित जनजाति के लिए) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6056 दिनांक-05.12.2013 के अनुसार राशि का आवंटन।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रुपये में)	आवंटित राशि (राशि रुपये में)
		P2401007960132	P2401007960132
49	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सारण।	6,560	6,560
50	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, शिवान।	6,000	6,000
51	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गोपालगंज।	4,910	4,910
52	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	7,700	7,700
53	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।	5,950	5,950
54	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	5,630	5,630
55	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	8,050	8,050
56	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।	6,410	6,410
57	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा।	6,570	6,570
58	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मधुबनी।	7,960	7,960
59	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, समस्तीपुर।	7,630	7,630
60	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, बेगूसराय।	4,850	4,850
61	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सहरसा।	3,370	3,370
62	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	5,130	5,130
63	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, कटिहार।	4,980	4,980
कुल-		1,06,39,960	1,06,39,960

कुल-(एक करोड़ छः लाख उन्चालिस हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र)

5/12/13

(समजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।